प्रेस नोट दिनांक 03.09.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट एवं नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना अन्तू पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.09.2026 को थाना अन्तू पुलिस टीम उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह क्षेत्र में अभियुक्त की तलाश/पतारसी-सुरागरसी में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना अन्तू के मुकदमे अन्तर्गत धारा 87, 137 (2), 64 (1) बीएनएस एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त हरिकेश वर्मा पुत्र विजयपाल वर्मा, निवासी ग्राम सराय कल्याण देव, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत करौंदी चौराहा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-हरिकेश वर्मा पुत्र विजयपाल वर्मा, निवासी ग्राम सराय कल्याण देव, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 29 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह आरक्षी लाखन सिंह एवं आरक्षी लोकेंद्र सिंह, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट एवं नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 03.09.2026 को थाना रानीगंज पुलिस टीम उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह क्षेत्र में अभियुक्त की तलाश/पतारसी-सुरागरसी में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना रानीगंज पर पंजीकृत अन्तर्गत धारा 87, 137(2), 65(1), 352, 351(3) बीएनएस एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त ओमप्रकाश उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र स्व0 शंकरलाल, निवासी ग्राम शेनपुर, थाना दातागंज, जनपद बदायूँ (उ0प्र0) को माँ बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन (दाँदूपुर) के बाहर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद स्मार्टफोन इनफिनिक्स कम्पनी बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- ओमप्रकाश उम्र करीब 21 वर्ष पुत्र स्व0 शंकरलाल, निवासी ग्राम शेनपुर, थाना दातागंज, जनपद बदायूँ (उ0प्र0)।

बरामदगी-
01 अदद स्मार्टफोन इनफिनिक्स कम्पनी।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह कां0 सौरभ यादव एवं कां0 अभिषेक त्रिपाठी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 09 अदद देशी सुतली बम के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र में देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त 1. दिलशाद पुत्र रहमत अली निवासी ग्राम जैतीपुर कठार, थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष 2. शाहिद खान पुत्र स्व0 जहीर उर्फ अम्मू खान निवासी ग्राम जैतीपुर कठार, थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 09 अदद देशी सुतली बम एवं 01 अदद हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई।

बरामदगी एवं विधिक कार्यवाही-
बरामदगी के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 345/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्तगण थाना लालगंज के मु0अ0सं0 343/2026 धारा 313, 336(2), 338, 340(2) बीएनएस में भी वांछित अभियुक्त हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1-दिलशाद पुत्र रहमत अली निवासी ग्राम जैतीपुर कठार, थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।
2-शाहिद खान पुत्र स्व0 जहीर उर्फ अम्मू खान निवासी ग्राम जैतीपुर कठार, थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
1- 09 अदद देशी सुतली बम।
2- 01 अदद हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल।

पुलिस टीम-

उ0नि0 ज्ञानचन्द्र तिवारी, उ0नि0 बनवारी लाल पाल, उ0नि0 रामनरेश, रि0का0 शिवम सिंह, रि0का0 शेख मो0 साहिद, रि0का0 अमन यादव, रि0का0 सिकन्दर पासवान, रि0का0 विशाल सोनकर एवं चालक रि0का0 विकास सिंह, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को कुल 10 लीटर कच्ची शराब के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा के उ0नि0 गोबिन्द सिंह चौहान मय हमराह का0 उमाशंकर भारती व का0 अश्वनी सोनकर द्वारा क्षेत्र में देखभाल, रोकथाम जुर्म जरायम एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शीतलपुर रैयापुर से 01 अभियुक्त अमृत लाल निर्मल पुत्र स्व0 छेदीलाल निर्मल निवासी ग्राम जुगराजगढ़ मजरा रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को कुल 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0-329/26 धारा-60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अमृत लाल निर्मल पुत्र स्व0 छेदीलाल निर्मल निवासी ग्राम जुगराजगढ़ मजरा रैयापुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
कुल 10 लीटर कच्ची शराब ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 गोबिन्द सिंह चौहान मय हमराह का0 उमाशंकर भारती व का0 अश्वनी सोनकर थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा कॉपीराइट अधिनियम के अभियोग में 03 प्रतिष्ठानों से 64 अदद नकली गल्फ व टाटा यूरिया के डिब्बे बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा कॉपीराइट अधिनियम के तहत पंजीकृत अभियोग में कार्यवाही करते हुए 03 प्रतिष्ठानों से कुल 64 अदद नकली गल्फ एवं टाटा यूरिया के डिब्बे तथा 02 अदद असली यूरिया के डिब्बे बरामद किए गए।

प्रतापगढ़।
दिनांक 03.09.2026 को ई.आई.पी.आर. इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुलिस बल के सहयोग से थाना मानिकपुर क्षेत्र में चेकिंग की गई, जिसमें 03 दुकानों से गल्फ यूरिया की 21 बाल्टी एवं टाटा यूरिया की 43 बाल्टी नकली उत्पाद बरामद हुए। उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अपराध पाया गया। जिसके संबंध में थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 222/26 धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 222/2026 धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम पंजीकृत किया गया।

आरोपियों/प्रतिष्ठान संचालकों का विवरण-
1. राकेश कुमार पुत्र रामकृष्ण, निवासी लहदरी मोड़, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. धीरेन्द्र रावत पुत्र विसराम, प्रो0 बालाजी इलेक्ट्रीशियन मोटर रिपेयरिंग वर्कशाप, निवासी लहदरी मोड़, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. भानू प्रताप सिंह पुत्र राजेश सिंह, प्रो0 श्री शम्भू यूरिया पम्प, निवासी लहदरी मोड़, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
कुल 64 अदद नकली यूरिया के डिब्बे (गल्फ कम्पनी के 21 एवं टाटा कम्पनी के 43) तथा 02 अदद असली यूरिया के डिब्बे।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 श्री एनामुल अहमद, का0 राजेश कुमार प्रजापति, का0 सूरज कुमार एवं म0का0 रितेश राणा, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।